

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी०आर०नं०:-244 / 2021

ओबरा थाना कांड संख्या :-61 / 2021

30.06.2022 आवेदक धनंजय सिंह उर्फ धनंजय कुमार उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ बंधपत्र दाखिल करने हेतु आवेदन दाखिल करता है, तत्पश्चात् आवेदक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदक का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि०मि०नं०-50365 / 2021 में पारित आदेश दिनांक-20.06.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है । उपरोक्त आदेश के आलोक में आवेदक बंधपत्र दाखिल करना चाहता है । आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा वर्णित प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करेगा । अतः आवेदक को बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति दिया जाय ।

सुना । अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदक का जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि०मि०नं०-50365 / 2021 में पारित आदेश दिनांक-20.06.2022 के आलोक में प्राप्त हुई है । जिसके अंतर्गत आवेदक को आदेश प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तारी के तहत उपस्थित होने पर मो०-10000 / - (दस हजार) रुपये प्रत्येक के समान राशि के दो प्रतिभू के साथ जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर धारा 438(2) दं.प्र.सं. के अनुपालन के आलोक में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है । उक्त आदेश की प्रति अभिलेख पर संलग्न है । आवेदक समय सीमा के अंतर्गत आत्मसमर्पण किया है एवं उपरोक्त आदेश में वर्णित तथ्य का पालन करने का कथन करता है ।

अतः उपरोक्त आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उपरोक्त आदेश के आलोक में बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।